



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1306, SEIAA/2022

Date: 4/8/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.) - 462016

विषय: प्रकरण क्र 9261/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह राजपूत, ग्राम मखानी, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7291 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 79/3, ग्राम सोनथार, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण की 739वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है।


"...आज दिनांक 21/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह राजपूत (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सिया के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 23/05/22 द्वारा रायसेन जिला की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की गई है किंतु इस नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने."

राज्य स्तरीय समाघात निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

चूंकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट SEAC की अनुशंसा पर SEIAA द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिये वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किये गये हैं, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरण स्वीकृति हेतु SEIAA को अनुशंसित किये जाना उचित होगा। पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर SEIAA एवं SEAC को सूचित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण पुनः SEAC को प्रेषित करते हुए संबंधित जिला खनिज अधिकारी एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायजाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण SEAC से पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1307 /SEIAA/2022 दिनांक - 4/8/22
प्रतिलिपि:-

1. जिला खनिज अधिकारी, जिला रायसेन (म.प्र.)।
2. श्री अमर सिंह राजपूत, ग्राम मखानी, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.)।


सदस्य सचिव